

DFO(T) द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए निर्धारित जाँच सूची

कार्यपालन अभियंता (जी.आर.सी.) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शहडोल, जिला शहडोल द्वारा ग्राम सांस से चिनकी 11 के.व्ही. विद्युत लाईन हेतु प्रस्तावित वनभूमि रकबा 1.098 हे० का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 09.05.2018 को किया गया।
विवरण निम्नानुसार है :-

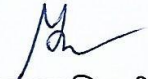
क्र	विशेष	DFO(T) द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट		
1.	सीमा हेक्टेयर	1.098 हे०		
2.	वन भूमि के स्थान (अक्षांश, देशांस) डायवर्जन के लिए प्रस्ताव रखा।	RF281	N-23°28'15.80" E-81°12'26.60" N-23°28'5.73" E-81°12'24.87" N-23°27'45.41" E-81°12'21.80"	N-23°28'12.01" E-81°12'26.81" N-23°27'52.70" E-81°12'25.21"
		RF285	N-23°27'45.41" E-81°12'21.80" N-23°27'34.94" E-81°12'64.00"	N-23°27'37.20" E-81°12'18.06"
		RF283	N-23°27'34.94" E-81°12'64.00" N-23°27'29.39" E-81°11'48.53" N-23°27'29.98" E-81°11'21.73"	N-23°27'32.93" E-81°11'56.43" N-23°27'31.55" E-81°11'34.92" N-23°27'31.66" E-81°11'06.12"
		RF284	N-23°27'29.39" E-81°11'48.53"	N-23°27'29.34" E-81°11'48.53"
3.	वन भूमि (संरक्षित वन / आरक्षित वन / राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन		
4.	अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	आवेदक संस्था एवं वन कर्मचारियों के साथ संयुक्त सीमांकन किया गया है।		
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	निरंक		
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ			

	गणना।	
9.	वनस्पति/ पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	पशुवर्ग-बाघ का रहवास है, कोई अद्वितीय पारिस्थितिकीय तंत्र मौजूद नहीं है।
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्यआयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों?	पूर्व कार्य आयोजना में चयन सह सुधार, कार्यवृत्त अंतर्गत सम्मिलित है।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/ परिवार का निर्भरता	इस वनभूमि पर किसी भी परिवारों की निर्भरता नहीं है।
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की स्थिति नहीं है।
14.	वहाँ किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए है? वहाँ विस्थापित करने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है?	प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश में नहीं आयी।
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर-वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्यआयोजना अनुसार विवरण गैर-वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।	कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म.प्र. पूर्व क्षेत्रा विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड शहडोल, जिला शहडोल द्वारा 11 के.व्ही. विधुत लाइन में प्रस्तावित वनभूमि कुल रकवा 1.098 हे० के बदले वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः वृक्षारोपण योजना तैयार नहीं की गई है।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। नजदीकी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया (बफर जोन) संरक्षित क्षेत्र की दूरी 05 कि०मी० के अंतर्गत है।
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिए इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है।
18.	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृति से उमरिया जिले के ग्राम सांस एवं चिनकी के निवासियों को विधुत की सुविधा की संभावना है।
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं हैं।
20.	गैर-साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइट स्पेसिफिक परियोजना है।

22.	वन भूमि जिसका व्यपर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश।	प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है। नहीं।
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	कुछ नहीं।
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ डीएफओ की विशिष्ट सिफारिशें।	कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शहडोल, जिला शहडोल द्वारा 11 के. व्ही. विद्युत लाईन में प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक आरएफ 281, 283, 284 एवं 285 प्रस्तावित. रकवा 1.098 हे० क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के कुल 438 वृक्ष है। उक्त विद्युत लाईन इन्सुलेटेड विद्युत लाईन डाला जाना प्रस्तावित है जिससे वृक्ष प्रभावित नहीं होने और न ही काटे जाएंगे। उक्त परियोजना से निकटतम ग्रामीणों को विद्युत की सुविधा प्राप्त होगी, उक्त परियोजना से वनभूमि की मांग न्यूनतम है, वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त क्षेत्र में इन्सुलेटेड विद्युत लाईन डाली जाती है तो ही एक मात्र विकल्प है, जो राष्ट्रीय विकास हित में है। जिसकी अनुशंसा की जाती है।

स्थान - उमरिया

दिनांक - ०९.०५.२०१८


वनमंडलाधिकारी

वनमण्डल उमरिया (म०प्र०)